कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1383 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2017

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र लाल,
पुत्र श्री धीरज लाल,
ग्राम खूनीबड़, पो0 निम्बूचौड़,
कोटद्वार गढ़वाल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

1. बिन्दु संख्या–01 एवं 02 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि वांछित सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

2. बिन्दु संख्या–03, में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति की सीटें निम्न है।

1	01. पुरोला (अ0जा0)	2	29 झबरेड़ा (अ0जा0)
3	05. थराली (अ0जा0)	4	37 पोड़ी (अ0जा0)
5	09. घनसाली (अ0जा0)	6	45 गंगोलीहाट (अ0जा0)
7	20. राजपुर रोड़ (अ0जा0)	8	47 बागेश्वर (अ0जा0)
9	27. ज्वालापुर (अ0जा0)	10	51 सोमेश्वर (अ0जा0)
11	28. भगवानपुर (अ0जा0)	12	58 नैनीताल (अ0जा0)
13	64 बाजपुर (अ0जा0)		

3. बिन्दु संख्या–04 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जन जाति की सीटें निम्न है।

   1. 15 चकराता (अ0ज0जा0)
   2. 69 नानकमत्ता (अ0ज0जा0)

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न–यथोपरि~~।

भवदीय,
BS Rawat 06-3-17
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पंजीकृत महत्वपूर्ण- आर०टी०आई मामला अविलम्ब सूचना देने की कृपा करें।

दिनांक 9-2-2017

सेवामें,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,
निवेदन है कि शिकायती पत्रावली 28 प्रपत्र की दिनांक 17-10-2016 के क्रम मे श्री कुमार राजीव अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माननीय भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली मे दिनांक 27 जनवरी 2017 मे सूचना दी है कि दिनांक 23 नवम्बर 2016 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को उचित कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है। जिसमे कोई भी कार्रवाई से पता नही चल रहा है। साक्षी संलग्न प्रति जब कि उक्त पत्रावली की एक प्रति पंजीकृत डाक से माननीय राज्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून व प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रस्तुत की गई थी। इनके द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई से अवगत नही कराया गया है। साक्षी संलग्न पंजीकृत रसीद।

अतः आपसे अविलम्ब निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना देने की कृपा करें।

बिन्दु न- 1 - शिकायती पत्रावली दिनांक 17-10-2016 के क्रम मे माननीय भारत निर्वाचन आयोग मे दिनांक 23 नवम्बर 2016 मे माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को उचित कार्रवाई हेतु आदेश दिये गये थे। उनके द्वारा क्या उचित कार्रवाई की गई है। अगर उचित कार्रवाई की गई है तो एक प्रति देने की कृपा करें। अगर नही की गई है तो कारण बताने की कृपा करें।

बिन्दु न०2 - दिनांक 17-10-2016 की शिकायती पत्रावली की प्रति पंजीकृत डाक से माननीय राज्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून को प्रस्तुत की गई थी। उनके द्वारा उचित कार्रवाई से अवगत नही कराया गया है उनके द्वारा उचित कार्रवाई की गई है तो एक प्रति देने की कृपा करें। अगर नही की गई है तो कारण बताने की कृपा करें। व

बिन्दु न०3 - उत्तराखण्ड राज्य मे अनुसूचित जाति की आरक्षित विधान सभा कितनी है उनके नाम बताने की कृपा करें। व

बिन्दु न०4 - उत्तराखण्ड राज्य मे अनुसूचित जन जाति की आरक्षित विधान सभा कितनी है उनके नाम बताने की कृपा करें।

साक्षी संलग्न श्री/श्रीमती राधा रतूड़ी सचिव समाजकल्याण उत्तराखण्ड की रिपोर्ट दिनांक 11 मई 2006 व श्री कालिका सचिव कार्मिक विभाग उ०प्र शासन लखनऊ का आदेश 14 जून 1996 व पंजीकृत रसीद मा० भारत निर्वाचन आयोग का आदेश दिनांक 27 जनवरी 2017 व कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार का आदेश दिनांक 7-11-2016 व कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी का आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2016 व बी०पी०एल प्रमाण पत्र जिसमें निशुल्क सूचना देने का प्राविधान है। कुल प्रपत्र 7

सुरेन्द्र लाल
सुरेन्द्र लाल
पुत्र धीरज लाल
ग्राम खूनीबड़ पो०नि० भुवनेश्वरी कोटद्वार गढ़वाल
उत्तराखण्ड राज्य - 246149

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.

संo: 4 / भाo निo आo / आरoटीoआईo / क्षेo / पत्र / 5 / उoअनुo–2 / उत्तराo / 2017 /418 दिनांकः 27 जनवरी, 2017

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र लाल पुत्र श्री धीरज लाल
गांव – खुनीबड
पोस्ट – निम्बूचौड
कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
पिन कोड – 246149

विषय: - सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 – के संदर्भ में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र दिनांक 17.10.2016 जो आयोग में 02.11.2016 को प्राप्त हुआ था, का संदर्भ लें।

आपका पत्र दिनांक 17.10.2016 को, जिसे आयोग के पत्र संख्या 39 / उत्तराo / 2016 / उoअनुo –ग / खण्ड–2 / 41 दिनांक 23 नवम्बर 2016 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उतराखण्ड को शिकायत में वर्णित मामले पर जांच करके रिपोर्ट आयोग को भेजने हेतु प्रेषित किया गया था। उचित कार्रवाई हेतु आप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उतराखण्ड से संपर्क करें।

यदि आप केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुश्ट हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर आयोग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार है :–

श्री के. एफ. विल्फ्रेड,
प्रधानसचिव व प्रथमअपीलीय प्राधिकारी,
भारतनिर्वाचनआयोग,
कमरा नंo 207, निर्वाचनसदन,
अषोकरोड, नई दिल्ली–110001.

भवदीय,

(कुमार राजीव)
अवर सचिव एंव
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. गार्डफाईल
2. आरoटीoआईo गार्ड फाईल

2

बीमा नहीं/NOT INSURED 2924
क्रमांक/No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु. पै.
Amount of Stamps affixed Rs. P.

एक रजिस्ट्री .... प्राप्त किया
Received a Registered

पाने वाले का नाम/Addressed to ....

तारीख-मोहर
Date-stamp

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं/NOT INSURED 2925
क्रमांक/No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु. पै.
Amount of Stamps affixed Rs. P.

एक रजिस्ट्री .... प्राप्त किया
Received a Registered

पाने वाले का नाम/Addressed to ....

तारीख-मोहर
Date-stamp

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

3

No.23011/1/2016-P.G.
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated: 7th, November, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Forwarding of representation/public grievance petition-reg.

The undersigned is directed to forward herewith representation from Uttarakhand Backward Minority Morcha dated 17.10.2016

2. It is also requested that if the application pertains to any other Department, application may be forwarded/transferred directly to that Department under intimation to this Department and also to the petitioner.

Encl.: As above.

(C. Ganesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.No.23093214

To

The Secretary,
Public Grievances,
Election Commission of India
Sansad Marg,
New Delhi.

Copy to:

Uttarkhand Pichidaivarg Alpsankya Morcha,Handichaud, Kotdwar,Pauri Garhwal, Uttarakhand-246149.

(4)

ELECTION- URGENT- IMPORTANT
E-Mall-dmcumdeouki@gmall.com
Phone no. 01374-222177

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या /25- 4 /2016 दिनांक 31 दिसम्बर,2016

1–उप जिलाधिकारी पुरोला/डुण्डा एवं भटवाडी (रिटर्निंग आफिसर)
2–उप जिलाधिकारी, बडकोट।
3–तहसीलदार भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड/बडकोट/पुरोला एवं मोरी
(सहायक रिटर्निंग आफिसर)

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य का नया राज्य उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों के लोहार, बढई,सोनार,ताम्रकार (टम्टा) आदि पिछडी जातियों को शिल्पकार अनुसूचित जाति की उपजाति मानकर अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्रों पर 2017 में विधान सभा चुनाव होने पर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लडने पर अतितत्काल रोक लगाने हेतु के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड पिछडावर्ग अल्पसंख्यक मोर्चा ग्रम व पो0ओ0–झण्डीचौड, कोटद्वार, पौडी गढवाल के द्वारा इस आशय का पत्र जो माननीय चुनाव आयुक्त भारत सरकार नई दिल्ली को सम्बोधित है एवं प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को पृष्ठांकित है, इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों के लोहार, बढई,सोनार,ताम्रकार (टम्टा) आदि पिछडी जातियों को शिल्पकार अनुसूचित जाति की उपजाति मानकर अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्रों पर 2017 में विधान सभा चुनाव होने पर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लडने पर अतितत्काल रोक लगाने हेतु जनहित शिकायत के सम्बन्ध में है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत उक्त पत्र की छाया प्रति आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र का भलीभांति अध्ययन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्याः 1149 /25- 4 /2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– 1– उत्तराखण्ड पिछडावर्ग अल्पसंख्यक मोर्चा ग्रम व पो0ओ0–झण्डीचौड, कोटद्वार, पौडी गढवाल को उनके पत्र संख्या–10/2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

31/12/16

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्या : 750 /XVII(1)-01/2006-01(62)/2003

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तरांचल लोकायुक्त,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 11 मई 2006

विषय : श्री बृज मोहन, पौड़ी–गढ़वाल, उत्तरांचल के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–22779, दिनांक 09 जून 2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में श्री बृजमोहन के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल द्वारा बिन्दुवार जांच आख्या अपने पत्रांक–133/15–52(2003–04), दिनांक 15 अक्टूबर 2005 तथा पत्रांक–37/15–52(2003–04), दिनांक 27 जनवरी 2006 द्वारा प्रेषित की है, जो आपको भी पृष्ठांकित है।

3. तत्क्रम में अवगत कराना है कि परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है, उनको सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

(1) फर्जी प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण व उनकी जांच।

(2) कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना।

(3) अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाओं/नियमों का शत–प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना।

4. उपजिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा अपने पत्रांक–मेमो/आर.ए./2005, दिनांक 07 सितम्बर 2005 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता ने अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाणपत्र रोके जाने तथा शिल्पकार जाति के गलत प्रमाणपत्र जारी किए जाने का अरोप अंगित किया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–412/का.–2/96–18–10–96, दिनांक 14 जून 1996 द्वारा अनुसूचित जातियों की उपजातियों लोहार, सोनार, दर्जी, बढ़ई, गदी, केवत, धुनार आदि को पिछड़ी जाति में शामिल कर जाति प्रमाणपत्र जारी करने को निर्देशित किया गया था। उपजिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त जातियों को प्रमाणपत्र उक्त शासनादेश के अनुक्रम में ही जारी किए जा रहे हैं। ध्यातव्य है कि उत्तरांचल गठन के बाद से उक्त जातियों की आरक्षण कोटि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

RIZWAN PANDEY

संख्या: -412/का-2/96-18/10/96

प्रेषक,

कालिका प्रसाद
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड क्षेत्र, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 जून, 1996

विषय:- अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है (पत्र संलग्न) कि उत्तराखण्ड क्षेत्र के ऐसे लोग जो पिछड़े वर्गों की सूची में लोहार, सोनार, दर्जी, केवट, बढ़ई, गद्दी नाम से उल्लिखित है, को जाति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जारहा है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में आने वाली जातियों/उप जातियों के नागरिकों को उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर पूर्व प्रसारित शासनादेशों में विहित प्रक्रिया अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

3- कृपया उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय,

(कालिका प्रसाद)
सचिव।

बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... निवासी .... पोस्ट ऑफिस .... विकास खण्ड–दुगड्डा तहसील .... जिला–पौड़ी गढ़वाल, बी0पी0एल0 2014–15 सर्वेक्षण [illegible] के अनुसार इनका [illegible] है जो कि बी0पी0एल0 [illegible] 2014–15 पृष्ठ .... में अंकित है।

सहायक खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड–दुगड्डा

खण्ड विकास अधिकारी
दुगड्डा गढ़वाल।